

(2)

37(7):— कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

- (vi) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vii) संस्था शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (viii) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

डा०(रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या—सम्ब० 339(1) / सत्तर-6-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
 (3) सचिव/प्रबन्धक, एम०एन०बी० मेमोरियल महिला महाविद्यालय, नसीरपुर मठ, कोटवा नारायणपुर, बलिया।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा०(रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

प्रबन्धक

एम०एन०बी०मेमोरियल महिला महाविद्यालय
नसीरपुरमठ, बलिया (उ०प्र०)